न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 54/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/86

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.अलका पत्नी अमराराम 2.नेहा चौधरी पुत्री अमराराम 3.भावना चौधरी पुत्री अमराराम जाति जाट निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.गुलाब मोतियानी पुत्र किशनचन्द 2.भावना मोतियानी पत्नी गुलाब मोतियानी सिन्धी निवासी गुरू कुंज फायरसागर रोड़,मेस्कोट विधालय के पास,बोराज अजमेर जिला अजमेर 3.उमा मुन्दड़ा पत्नी डॉ कमल मुन्दड़ा 4.किशोर कुमार पुत्र देवाराम जाति माली निवासी समदड़ी रोड़, बालोतरा तहसील पचपदरा 5.चन्द्रप्रकाश पुत्र बाबुलाल जाति माली निवासी हनुवन्त कोलानी बलोतरा तहसील पचपदरा 6.नगर परिषद बालोतरा जरीए आयुक्त/सभापति 7.सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग पता–नगर परिषद के सामने बालोतरा तहसील पचपदरा 8.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा जिला बालोतरा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 व 2
3. श्री रमेशकुमार अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 4
4. विप्रार्थी संख्या 3 व 5 से 8 एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:25:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 14/8/2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1303/256 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1303/256 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री दिनेश कुमावत द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरफ से वकालतनामा मय जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें। अधिवक्ता श्री रमेशकुमार द्वारा विप्रार्थी संख्या 04 की तरफ से वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश कर प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 03 व 5 से 8 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1303/256 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है,प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1303/256 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किए जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:25:01 IST
Reason: SelfAttested

4.विप्रार्थी संख्या 1 व 2 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढत व झूठे तथ्यो के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है,क्योंकि विप्रार्थी की ओर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर कभी वाद विवाद नहीं किया गया है,बल्कि प्रार्थीगण झगड़ालू प्रवृति के होने के कारण आए दिन विप्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करते रहते है। जबकि

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विप्रार्थी की खातेदारी भूमि तरमीम शुदा है तथा विप्रार्थी की खातेदारी भूमि के चारो तरफ पक्की दीवार की हुई है। सीमाओं को लेकर कोई वाद विवाद नहीं है। प्रार्थीगण हस्तगत प्रकरण के जरिए विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से आवेदन पेश किया गया है। जिसमें कोई सारभूत तथ्य निहित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।

5.विप्रार्थी संख्या 04 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी की जाती है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

6.हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तों की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम खेड़ पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1303/256 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 07.2..2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

:आदेश:–

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:25:01 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खेड़ा पटवार हल्का खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1303/256 क्षेत्रफल 0.6475 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। नेखमबंदी की आड़ में यदि अवैध कब्जा पाया जाता है,तो उक्त आदेश की आड़ में कब्जा हटवानें की कार्यवाही नहीं की जावें। उसके लिए प्रार्थीगण विधि में निहित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगे। नेखमबंदी कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिए सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 14/8/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:25:01 IST
Reason: SelfAttested